

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :- 45/2016

जीसीएमएस नम्बर :- 2016/000176

अनवान

1. मांगी पुत्री भागीरथ जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादिया

बनाम

1. गोपी पिता भागीरथ जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. दोला पिता भागीरथ जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. तुलसीराम पिता भागीरथ जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नारायणलाल पिता उगमा जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रामलाल पिता उगमा जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रतनी पुत्री उगमा जाट नाबा.जरिए माता टमु बैवा उगमा जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर
7. बाली पुत्री उगमा जाट नाबा.जरिए माता टमु बैवा उगमा जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर
8. आशा पुत्री उगमा जाट नाबा.जरिए माता टमु बैवा उगमा जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर
9. टमु बेवा उगमा जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. रामलाल पुत्र बक्षु जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मांगीदेवी पत्नि डालु जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिए शाखा प्रबन्धक
13. उपपंजीयक एवं तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारुख मोहम्मद मन्सूरी- अधिवक्ता वादी
2. हरिश चन्द टेलर - अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11
3. जाकिर हुसैन रंगरेज - अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 लगायत 9
4. प्रतिवादी संख्या 12 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक:-

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि:-

1. राजस्व ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के वैरुन हल्का आबादी में वादिया एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 की मौरुपी कृषि आराजियात नवीन खाता संख्या 194 में अंकित आराजी संख्या 1931 रकबा 0.05 है0, 3406 रकबा 0.06 है0, 3407 रकबा 0.25 है0, 3408 रकबा 0.15 है0, 3420 रकबा 0.16 है0, 3421 रकबा 0.25 है0, 3422 रकबा 0.25 है0, 3423 रकबा 0.24 है0,



सहायक कलक्टर
(राज.जी.ओ.) रायपुर

कुल कित्ता 8 कुल रकबा 1.41 है0, व खाता संख्या 196 में अंकित आराजी संख्या 1912 रकबा 0.26 है0, 1914 रकबा 0.07 है0, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.33 है0 भूमि रिथत है। उपरोक्त कृषि आराजियात वादीया के पिता भागीरथ पिता किशना जी जाट के समय से चली आ रही है। जिनका साबिक नम्बरों का वर्णन आगे की कलम में किया गया है प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्बत 2022 से 2025 तथा नवीन जमाबन्दी सम्बत 2071 से 2074 तक साथ प्रस्तुत है।

2. वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 धर्म से हिन्दु होकर हिन्दु विधी से शासित होते है तथा संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य होकर एक ही पुर्वज भागीरथ जाट की संतान है उक्त वादग्रस्त भूमिया पूर्व में भागीरथ पिता किशना जी जाट के नाम पर दर्ज थी। व उनकी मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 8 के पिता उगमा के नाम दर्ज रेकार्ड हुई वादपत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित खाता संख्या 194 व खाता संख्या 196 में अंकित आराजियात में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 का क्रमश पृथक पृथक 1/4 हिस्सा दर्ज है। जबकी वादीया का भी उपरोक्त खातों में अंकित आराजियात में 1/5 हिस्से के अनुसार दर्ज होना चाहिये वादीया भागीरथ की जायन्दा पुत्री है भागीरथ की मृत्यु उपरान्त राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तकरण केवल मात्र जायन्दा पुत्रों के नाम ही दर्ज किये है जब कि वादीया भी उनकी प्रथम श्रेणी की वारिस है।
3. वादीया का अपनी मौरुषी भूमियो में जन्म से हक एवं हिस्सा है तथा वादीया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के साथ साथ निहित उसके हिस्से की हकदार है राजस्व खाता संख्या 194 में अंकित आराजियात में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को 3/4 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 9 का 1/4 हिस्सा दर्ज है जिस मे से वादीया का हिस्सा निहित है। अर्थात प्रत्येक वारिस का 1/5 हिस्सा क्रमशः निहित है तथा इसी प्रकार खाता संख्या 196 में भी 1/5 हिस्सा निहित है जिससे वादीया हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारिणी है।
4. वादपत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजियात का वादीया अपने हिस्से अनुसार उपयोग कर काश्त कर रही है प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर दिनांक 08/03/2016 को उक्त कृषि भूमियों को विक्रय करने की बात कही तथा विक्रय करने पर आमादा हुये और प्रतिवादीगण ने वादीया को कहा की वादग्रस्त भूमिया उनके नाम पर दर्ज है जिसमे से हमने पुर्व में भी भूमियां अन्य को विक्रय की है और अब शेष भूमियो को भी विक्रय करेगे जिस पर वादीया ने कहा की वाद वर्णित भूमियां पिता के समय से ही चली आ रही है तथा उसमे मेरा भी जन्म से ही हिस्सा निहित है। तथा मे ही मेरे हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रही हूँ लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 बिना किसी विधिक आवश्यकता के भूमियो को खुर्द बुर्द कर विक्रय करने पर आमादा हो रहे है। जब कि प्रतिवादीगण को वादीया के हिस्से की भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है जिससे वादीया को वादग्रस्त आराजियात में अपने हिस्से की घोषणा इस आशय की करवाई जाना आवश्यक हो गया है की वादपत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजियात में वादीया का 1/5 हिस्सा होकर वादीया खातेदार काश्तकार है। वादीया को जायज हक से महरूम करने



की गरज से वादग्रस्त आराजियात में निहित हिस्से को भी अन्य को रहन, बय, बक्षीय करने पर आमादा हो रहे है।


5. अतः वादिया की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिकी बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादर फरमाई जाए कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात में वादिया का 1/5 हिस्सा है जिसकी खातेदार काश्तकार घोषित कराते हुए वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराया जावे। साथ ही रथाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजियात में वादिया के निहित हिस्से को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे। न ही वादिया को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करे तथा प्रतिवादी संख्या 13 वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित आराजियात के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे।
6. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 12 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 24.03.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 9 की ओर से अधिवक्ता जाकिर हुसैन रंगरेज उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 की ओर से अधिवक्ता हरिशचन्द्र टेलर उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 13 औपचारिक पक्षकार है।
7. प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 लगायत 9 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसमें सम्पूर्ण वादपत्र को स्वीकार किया गया है। वादिया का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीया को वादग्रस्त आराजियात में 1/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाए।
8. प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकन किया कि वादग्रस्त भूमियां स्थित होना स्वीकार है किन्तु उक्त भूमियां मौरुषी एवं पुश्तेनी नहीं है। प्रस्तुत रेकार्ड उक्त आराजियात से सम्बन्धित नहीं है। वादिया शादिशुदा होकर ससुराल निवास कर रही है तथा वही पर आबाद है। भूमियां भागीरथ जाट के नाम पर दर्ज होकर उनकी मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व उगमा के नाम पर बिल्कुल सही दर्ज हुई है। वादिया का उक्त भूमियों में कोई हक हिस्सा निहित नहीं है क्योंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व 4 से 9 के मध्य कई वर्षों पूर्व बंटवाड़े हो गए व अलग-अलग काबिज है। उक्त वर्णित भूमियां पैतृक भूमियां नहीं रही है तो उसका जन्म से ही अधिकार नहीं है। खाता संख्या 194 में अंकित आराजियात में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का 3/4 हिस्सा दर्ज नहीं क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 तुलसीराम ने आराजी संख्या 3420, 3421, 3422, 3423 कुल किता 4 कुल रकवा 0.90 है0 भूमि में उसका 1/4 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 28.09.2015 को प्रतिवादी संख्या 10 रामलाल को विक्रय कर कब्जा सिपूद कर दिया तथा वक्त विक्रय से प्रतिवादी संख्या 10 ही काबिज है तथा खाता संख्या 196 में अंकित आराजियात संख्या 1912 व 1914 कुल किता 2 कुल रकवा 0.33 है0 भूमि में निहित प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल के उसके निहित 1/4 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 11 मांगीदेवी को दिनांक 23.03.



2010 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर कब्जा सिंपर्द कर दिया तब से ही प्रतिवादी संख्या 11 मांगीदेवी काबिज है तथा विक्रय शुदा भूमियों का नामान्तरण भी क्तेागण के नाम पर खुल गये। वादिया विक्रय की गई भूमियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नहीं है। वादिया किसी भी भूमि पर काश्त नहीं कर रही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने उसकी घर खर्च रूपयो की आवश्यकता होने से प्रतिवादी संख्या 10, 11 ने भूमियों को विक्रय की है। इसलिए वादिया विक्रय पत्रों को निरस्त कराये बिना किसी प्रकार की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नहीं है। मजीद कथन में निवेदन किया कि विरासत का नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व उगमा के नाम पर खुल गया व उसके पश्चात् चारों पुत्रों ने भूमियों का विभाजन मौके पर कर लिया गया व अलग-अलग काबिज होकर भूमियों का उपयोग-उपभोग करने लग गए। प्रतिवादी 1 व 3 ने अपनी जरूरत से भूमियों का विक्रय करके कब्जा सिंपर्द कर दिया। क्तेागण इस पर काबिज हो गए। वादग्रस्त भूमियां पुश्तैनी नहीं रही है। काउन्टर क्लेम में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 10 रामलाल ने प्रतिवादी संख्या 3 तुलसीराम से ग्राम रायपुर की आराजी संख्या 3420, 3421, 3422, 3423 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 0.90 है० भूमि मे निहित प्रतिवादी संख्या 3 के 1/4 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तथा वक्त खरीद से काबिज होकर उसका उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है। भूमियां प्रतिवादी संख्या 10 का 1/4 हिस्सा भी उक्त भूमियों मे प्रतिवादी संख्या 3 के बजाय दर्ज हो गया है। उक्त निहित 1/4 हिस्से का कब्जे के आधार पर जरिए मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अलग राजस्व खाता खुलवाना चाहता है जिससे यह काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से पेश है। प्रतिवादी संख्या 11 मांगीदेवी ने प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल से ग्राम रायपुर की आराजी संख्या 1912, 1914 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.33 है० भूमि में निहित प्रतिवादी 1 गोपीलाल के 1/4 हिस्से मे से 5/8 वां हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कब्जा प्राप्त किया है तथा वक्त खरीद से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रही है जिससे उक्त आराजी संख्या 1914, 1914 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.33 है० भूमि निहित अपने हिस्से का सहमति से कब्जे को प्राथमिकता देकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा अलग खाता खुलवाना चाहता है। इस हेतु काउन्टर क्लेम पेश है। अतः प्रतिवादीगण की सादर प्रार्थना है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र को सव्यय खारीज फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 10, 11 का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे।

9. प्रकरण में तनकीयात कायम की गई जो निम्न है -

1. आया कि वादिया वादग्रस्त भूमियां पुश्तैनी होने से अपना 1/5 हिस्सा की घोषणात्मक डिक्री जारी करवा खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है ? जिम्मे वादिया
2. आया कि वादिया स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के विरुद्ध जारी करवाने की अधिकारिणी है ? जिम्मे वादिया
3. आया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के मध्य मौके पर विभाजन हो गया व अलग-अलग काबिज है। तथा उसमें से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 3/4 का हिस्सा दर्ज नहीं है



सहायक क्लर्क
(राजीव) रायपुर

क्योंकि आराजी संख्या 3420, 3421, 3422, 3423 कुल किता 4 कुल रकवा 0.90 हे० मे से उसका 1/4 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रतिवादी संख्या 10 रामलाल को विक्रय कर कब्जा सिपूद कर दिया तथा आराजियात संख्या 1912 व 1914 में निहित प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रतिवादी संख्या 11 मांगीदेवी को विक्रय कर कब्जा सिपूद कर दिया यह कथन वादपत्र में छुपाया गया है। जिससे वादपत्र अस्पष्ट होने से खारीज होने योग्य है ? जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11

4. आया कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये विना वादिया किसी प्रकार की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नहीं है व इनका वादपत्र पर प्रभाव क्या होगा ? जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11


5. आया कि प्रतिवादीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से केता है जिससे मामला सिविल कोर्ट में सुनवाई का बनता है। राजस्व न्यायालय को उक्त वाद पत्र सुनने का अधिकार नहीं है? जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11


6. आया कि प्रतिवादी संख्या 10 व 11 अपना खरीद शुदा भूमियों का विभाजन कराने के अधिकारी होने से जरिए काउन्टर क्लेम अपने-अपने हिस्से का कब्जेनुसार जरिए मीटस एण्ड बाउण्ड्स के विभाजन की आज्ञापति प्राप्त करने के अधिकारी है ? जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11

7. आया कि वादिया का कोई कब्जा नहीं होने से वादग्रस्त भूमियों पर कोई घोषणात्मक डिक्री व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारिणी नहीं है ? जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11

8. अनुतोष ?

10. साक्ष्य वादी में वादिया मांगी पुत्री भागीरथ जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकन किया कि मुझ शपथकर्ती व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की मौरुषी कृषि आराजियात जिसका वर्णन वादपत्र की कलम संख्या 6 में किया है। उक्त वादवर्णित भूमियों शपथकर्ती के पिता भागीरथ पिता किशना जाट के नाम दर्ज रेकार्ड थी। वादपत्र के साथ साबिक जमाबन्दी पेश की जो प्रदर्श-1 है। मिलान क्षेत्रफल की प्रति पेश की जो प्रदर्श-2 है। नवीन जमाबन्दी खाता संख्या 194 व 196 पेश की जो प्रदर्श-3 व 4 है। भागीरथ पिता किशना की मृत्यु उपरान्त उक्त वादवर्णित भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 के पिता उगमा के नाम दर्ज रेकार्ड हुई। नवीन खाता संख्या 194 व 196 में प्रत्येक 1/4 हिस्सा दर्ज है जबकि शपथकर्ती का जन्म से ही 1/5 हिस्सा निहित है जिसकी खातेदार घोषित होने की अधिकारिणी हूँ। शपथकर्ती भागीरथ जाट की जायन्दा पुत्री हूँ तथा उनकी प्रथम श्रेणी की वारीस हूँ। राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी विधिक आदेश के अपेन जायज हक से महरूम करने की गरज से बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 के पिता के नाम भूमियां दर्ज कर दी। वादवर्णित भूमि के खाता संख्या 194 व 196 को प्रतिवादीगण ने दिनांक 08.03.




सहायक कलक्टर
(रा.जी.जे.)रायपुर

2016 को अन्य व्यक्तियों के बहकावों में आकर विक्रय करने पर आमादा है जिससे उनके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कराया जाना आवश्यक है।

11. साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी रामलाल पुत्र बक्षु जाट निवासी रायपुर, मांगीदेवी पत्नि डालूराम जाट निवासी रायपुर, तुलसीराम पुत्र भागीरथ जाट निवासी रायपुर, ने शपथपत्रों पर अपने बयान प्रस्तुत किए गए जिसमें अंकन किया कि वादग्रस्त भूमियां वादिया की पुश्तैनी व मौरुपी नहीं है। वादिया ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वादिया इस हिन्दु परिवार की सदस्य नहीं है क्योंकि वह शादीशुदा होकर ससुराज निवास कर रही है। भागीरथ की मृत्यु के पश्चात् भूमियां तुलसीराम, दोला, गोपी व उगमा के नाम दर्ज हुई जिसकी जानकारी वादिया को पूर्णरूप से है। चारों के बीच मौके पर बंटवारे हो चुके और अलग-अलग काबिज है। वादग्रस्त आराजी संख्या 3420, 3421, 3422, 3423 कुल किता 4 कुल रकबा 0.90 है 0 भूमि में तुलसीराम का 1/4 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 28.09.2015 को प्रतिवादी रामलाल पुत्र बक्षु जाट निवासी रायपुर ने कय कर कब्जा प्राप्त किया तब से में उस भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है तथा आतजियात संख्या 1912, 1914 कुल किता 2 फुल रकबा 0.33 हेक्टेयर में गोपी लाल ने निहित उसके 1/4 हिस्सा को दिनांक 23.03.2010 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रतिवादीया मांगीदेवी पत्नी डालूजी जाट निवासी रायपुर को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तह से यह भी उस पर काबिज हो उसका उपयोग उपभोग कर रही है और भूमिया भी नाम दर्ज हो चुकी है। इसकी जानकारी भी वादीया को है। किन्तु फिर भी इसके सम्बन्ध में वादपत्र में अंकन नहीं किया और ना ही उन विक्रय पत्रों को निरस्त कराने की कार्यवाही की। वादीया का वादग्रस्त भूमियों पर कोई कब्जा नहीं है। जिससे भी वादपत्र चलने योग्य नहीं है। तुलसी राम व गोपी ने उनको घर खर्च हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से भूमियों को विक्रय किया है और वादीया के भाई दोला के हिस्से पर दोला, गोपी के हिस्से पर गोपी और उगमा के हिस्से पर उगमा व अब उसके वारिस एवं तुलसी राम के हिस्से पर तुलसीराम काबिज होकर उन्होंने विक्रेताओं को बेचा है और गोपी ने भी उसका हिस्सा बेच दिया है और इससे पूर्व भी दोला, गोपी और तुलसीराम ने जमीने बेची है और उसके सम्बन्ध में भी सिविल न्यायालय गंगापुर व जिला न्यायालय भीलवाडा में भी मामले चले है जिसकी जानकारी भी वादीया को है। फिर भी वादीया द्वारा तत्समय कोई कार्यवाही नहीं की गई। किन्तु वादीया अब उसके भाई दोला के बहकावे व सिखावट में है जिससे बेची गई भूमियों को भी वापस हड़पने का झूठा उपक्रम कर रही है। वादीया ने स्पष्ट व स्वच्छ हाथों से दावा पेश नहीं किया है। जिससे वादीया का वादपत्र चलने योग्य नहीं है। दावा खारिज फरमाया जावे।

12. वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 के पिता सगे 5 भाई बहन है जो भागीरथ के जायन्दा सन्तानें है। वादिया भागीरथ की जायन्दा पुत्री है। वादिया के पिता के नाम खाता संख्या 196 व 194 में दर्ज थी। वर्तमान में भागीरथ की मृत्यु के पश्चात् भूमि चारों भाईयों के नाम है। प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा मूलवाद तक जारी है। वादग्रस्त आराजियात में भागीरथ की पुत्री



होने से वादिया का 1/5 हिस्सा जन्म से ही निहित है। भागीरथ की मृत्यु होने पर केवल 4 भाईयों के नाम पर वादग्रस्त आराजियात का नामान्तरण खुला। वादिया ने वादग्रस्त आराजियात की 1/5 हिस्से की घोषणा चाही है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 लगायत 9 ने वादपत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र को अस्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 3 ने भूमि बैची है। वादग्रस्त आराजियात में वादिया के हक हिस्से तक का बिकाव नल एण्ड वोर्ड है। वादपत्र के साथ साविक जमाबन्दी पेश की है। डी. डब्ल्यू-1 तुलसीराम, डी.डब्ल्यू-2 मांगी पत्नि डालु, डी.डब्ल्यू-3 रामलाल की गवाही में वादिया को भागीरथ की पुत्री होना बताया गया। तनकी 1, 2 वादी ने गवाहों से साबित किया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 में संशोधन में पुत्री को पुत्र के समान अधिकार दिए गए हैं। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावे में वादग्रस्त आराजियात का पूर्व में बंटवारा हो जाने से सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होने का कथन कहा गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के वनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा प्रकरण के 2020 के निर्णय के अनुसार मौखिक विभाजन को अस्वीकार किया गया है एवं अंश का निर्धारण ऐसी परिस्थिति में किया जायेगा।

13. प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादपत्र स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। तथ्यों का छुपाकर वादपत्र पेश करने पर वादपत्र स्वतः खारीज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 10 एवं 11 का हवाला वादपत्र की कलम संख्या 2 में नहीं है। विरासत के नामान्तरण के बारे में वादपत्र में कोई जानकारी नहीं दी गई है। नामान्तरण को कही चुनौती नहीं दी गई है, न ही शुरू से शून्य बताया गया है। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 से वादपत्र में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादग्रस्त आराजियात के पूर्व के बैचान का वर्णन वादपत्र में नहीं किया गया है। ना ही वादपत्र में पूर्व के बैचान को चुनौती दी गई है। पूर्व के विक्रय पत्र के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई राहत नहीं चाही गई है। वादग्रस्त आराजियात का हस्तान्तरण किसी आधार पर किया गया है उसके सन्दर्भ में कोई वर्णन और राहत वादपत्र में अंकित नहीं है। आराजी संख्या 2384, 2383 दोनों का बैचान हो चुका है। उसके क्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया है, बैचान कोई वर्णन नहीं दिया गया है, जबकि इस सन्दर्भ में न्यायालय में वाद चल चुका है। सारे तथ्य छुपाकर वादपत्र पेश किया गया है। धारा 188 का अनुतोष प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के विरुद्ध ही है। वादग्रस्त आराजियात के विक्रय पत्र को चुनौती नहीं दिए जाने से घोषणा का अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तुलसीराम ने अपने बेटे की नौकरी के लिए जमीन बैची थी। दौला ने शेष जमीन को हड़पने की नियत से मांगी को खड़ा करा है। वादी ने दुरभी सन्धि करते हुए केवल तुलसीराम को टाला है। वादिया मांगी नाबालिक बच्ची को छोड़कर नाते चली गई जिसकी शादि के लिए तुलसीराम ने जमीन बैची है। तुलसी के पुत्र का कत्ल हो चुका है। वादग्रस्त आराजियात का जिन्हे विक्रय किया गया है उन सभी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। विक्रय पत्र पंजीकृत दस्तावेज है जिन्हे निरस्त किए जाने के अनुतोष के बिना खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। वादग्रस्त आराजियात के बंटवारे वर्षों पूर्व हो जाने के बाद बैचान किया गया है। दुरभी सन्धि की स्थिति में कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है।



सहायक जज
(सहायक जज)

वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा 45 वर्ष पूर्व हो चुका है एवं क्रेतागण कयशुदा हिस्से पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने भी जमीन बैची है परन्तु उसने अपने भरण पोषण के लिए जमीन बैची है। विक्रय के पश्चात् जमीन पुश्तैनी नहीं रहती है। वादपत्र में विक्रय पत्रों को नल एण्ड बोर्ड घोषित कराने की कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। ऐसे में विक्रय पत्रों सन्दर्भ में कोई घोषणा एवं निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती है। वादग्रस्त आराजियात के क्रेता सदभाविक क्रेता है। प्रतिवादी संख्या 10 ने अपने जवाब दावे के साथ काउन्टर क्लेम पेश कर वादग्रस्त आराजियात का विभाजन चाहा है जिसका वादी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है जिसका मतलब है कि वादी को काउन्टर क्लेम स्वीकार है। क्रेता ने आराजियात पर ऋण ले रखा है। तनकी 3 के अनुसार वादपत्र अस्पष्ट अपूर्ण है अतः आदेश 6, 7 के अनुसार विधि द्वारा वर्जित है। तनकी संख्या 4 दस्तावेज से प्रमाणित है। विरासत के नामान्तरण की नकल पेश नहीं की गई है। ना ही इसे चुनौती दी गई है। विक्रय पत्रों की प्रतिलिपियां पेश नहीं की गई है तथा विक्रय पत्रों के निष्पादन के समय दिनांक आदि की कोई जानकारी नहीं दी गई है। वादपत्र में उपलब्ध दस्तावेज डिक्री प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। साक्ष्यवादी में केवल 1 गवाह पेश किया गया है। विरासत का नामन्तरण 60 वर्ष पूर्व खोला जा चुका है तथा उसे 60 वर्षों के दौरान कही चुनौती नहीं दी गई है। वादिया द्वारा अपने पिता भागीरथ का 24 वर्ष पूर्व मृत्यु होना बताया गया है। स्वयं की शादी भाईयो द्वारा कराना बताया है। पूर्व में वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय वाद पेश करने के समय जानकारी होने पर भी वादिया द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए कोई वाद उस समय पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 के पक्ष में जो कि वादिया के भाई के वारीसान है खुले नामान्तरण को चुनौती नहीं दी गई है। वादिया के दादा के नाम की कोई जमाबन्दी पेश नहीं की गई है। पुराना दावा वर्ष 1992 में चला था जिसमें रेकार्ड प्रदर्श वर्ष 1996 में हुए थे। वादकारण उत्पन्न होने के पश्चात् वाद पेश करने की मियाद 3 वर्ष की है परन्तु वर्तमान वाद उक्त मियाद के बीत जाने के काफी समय पश्चात् लाया गया है। वादग्रस्त आराजियात का बैचान किसी वैध आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया हो इसे कही भी वादपत्र में साबित नहीं किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त नहीं होने पर कोई खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। सदभाविक क्रेता का इसमें कोई दोष नहीं है। वादिया का कब्जे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं है। प्रतिवादीगण को विशेष हर्जा दिलाकर वाद खारीज किया जाए। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए हैं— 1. आरआरटी 2020पेज 858, 2. डीएनजे 2019 पेज 478, 3. आरआरटी 2010 पेज 850, 4. आरआरटी 2019 पेज 1291, 5. डीएनजे 2015 पेज 1855, 6. आरआरटी (सप्ली.) 2022-23 पेज 135, 7. आरआरटी (सप्ली.) 2022-23 पेज 563, 8. आरआरटी (सप्ली.) 2022-23 पेज 87 है।

14. प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस पर वादी अधिवक्ता द्वारा प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सभी नजीरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग के सामने लागु नहीं होते है। प्रतिवादी संख्या 2 के कहने से वादिया द्वारा वाद दायर किया गया है ऐसा कहे देने



उपस्थित कलकत्ता
(सप्ली.ने)कयशुदा

से कुछ साबित नहीं किया जा सकता है। जमाबन्दी में जिसके नाम उनको ही पक्षकार बनाया गया है केता के नाम जमाबन्दी में नहीं होने से उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादिया को पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए दावा पेश करने की आवश्यकता नहीं है। वादिया को सम्पूर्ण हिस्से के बैचान पर स्वतंत्र हिस्से के लिए पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने के लिए सिविल न्यायालय में जाने की आवश्यकता होती है। शादी करने, मायरा भरने से पुत्री के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। जब तक औपचारिक रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक संयुक्त सम्पत्ति रहती है। विभाजन हो जाने के बाद अपना हिस्से का बैचान किया जा सकता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में पुरुष की मृत्यु के पश्चात् के नियम हैं। विभाजन नहीं होने से नामान्तरण खारीज करने की अपील की आवश्यकता नहीं है। बयान में बताये खरीददार किस हैसियत से आए ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय होने पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाता है। प्रतिवादी द्वारा जिसको केता बताये गये हैं उनके कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। आरआरटी 2020 पेज 858 की नजीर में धारा 88, 53 का है विभाजन हो गया उस पर लागु है। पिता के जीवनकाल में सहदायिक सम्पत्ति का बैचान होने पर कर्ता खानदान लागु होता है, भाईयो द्वारा बैचान करने पर लागु नहीं होता है। वादग्रस्त आराजियात संयुक्त आराजियात है प्रतिवादीगण की स्वअर्जित आराजियात नहीं है जिसका की बैचान जायज जरूरत के लिए किया जा सके। आरआरटी (सप्ली.) 2022-23 पेज 135 की नजीर इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है क्योंकि वादपत्र इन्द्राज दुरुस्ती का है। आरआरटी (सप्ली.) 2022-23 पेज 563 की नजीर इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार मौखिक विभाजन लोक दस्तावेज से समर्थित होना चाहिए। वादपत्र की कलम संख्या 4 में अंकित वाद कारण दिनांक 08.03.2016 को उत्पन्न होने से अवधि बाधित नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक विभाजन हो जाने के बाद विभाजन का काउन्टर क्लेम मांगना विरोधाभासी प्रतीत होता है। वादिया का वादपत्र स्वीकार किए जाने पर पूर्व में हुए विभाजन का काउन्टर क्लेम स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः वादिया का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाए।

15. प्रकरण में तनकीवार निर्णय इस प्रकार है -

1. आया कि वादिया वादग्रस्त भूमियां पुश्तैनी होने से अपना 1/5 हिस्सा की घोषणात्मक डिक्री जारी करवा खातेदार काशतकार घोषित होने योग्य है ? जिम्मे वादिया

इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 द्वारा वादपत्र को स्वीकार किया गया है एवं अपने जवाबदावे में वादिया को वादग्रस्त आराजियात में 1/5 हिस्से की खातेदार काशतकार घोषित किए जाने हेतु लिखा है। वादिया ने इस तनकी के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रदर्श कराए।

क्र.स.	प्रदर्श विवरण	प्रदर्श
1	जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025	प्रदर्श-1
2	मिलान क्षेत्रफल की प्रति	प्रदर्श-2
3	जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 खाता संख्या 194	प्रदर्श-3
4	जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 खाता संख्या 196	प्रदर्श-4

प्रदर्श-1 जमाबन्दी संवत 2022 से 2025 ग्राम रायपुर के खाता संख्या 113 में अंकित आराजियात भागीरथ पिता किशना सा.देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। इसी जमाबन्दी के कॉलम संख्या 16 में अंकन अनुसार भागीरथ के फौत हो जाने से जायन्दा लड़के गोपी, दोला, उगमा, तुलसीराम पिता भागीरथ के नाम परिवर्तन करने की स्वीकृत 1966 में नामान्तरण संख्या 62 के जरिए हुई।

प्रदर्श-2 मिलान क्षेत्रफल की नकले प्रस्तुत की है। निम्न आराजियात का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-2 में अंकित है।

साबिक नम्बर	रकबा	नवीन नम्बर	रकबा
429	2 बीघा 5 बिस्वा	3422, 3423	0.25, 0.24
459	1 बीघा 18 बिस्वा	3421	0.25
1075/1	12 बिस्वा	2488	0.13
451/1	3 बिस्वा	3406	0.06
452	1 बीघा 6 बिस्वा	3407	0.25
2384, 2383	1 बीघा 9 बिस्वा, 1 बीघा 9 बिस्वा	1912, 1913, 1914	0.26, 0.25, 0.07

निम्न वादग्रस्त आराजियात के मिलान क्षेत्रफल के दस्तावेज प्रदर्श 2 में उपलब्ध नहीं है।

साबिक नम्बर	रकबा	नवीन नम्बर	रकबा
	मिलान क्षेत्रफल सलंगन नहीं है	1931	0.05
	मिलान क्षेत्रफल सलंगन नहीं है	3408	0.15
	मिलान क्षेत्रफल सलंगन नहीं है	3420	0.16
577/2	10 बिस्वा	मिलान क्षेत्रफल सलंगन नहीं है	
453	14 बिस्वा	मिलान क्षेत्रफल सलंगन नहीं है	

प्रदर्श-3 जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 ग्राम रायपुर के खाता संख्या 194 में गोपी, दोला, तुलसीराम पिता भागीरथ 3/4, नारायणलाल, रामलाल पिता उगमा, रतनी, बाली, आशा पुत्रीया उगमा टमु बेवा उगमा रामलाल नाबा. माता टमु बेवा उगमा 1/4 सा. देह खातेदार दर्ज थी। इसी जमाबन्दी में नामान्तरण संख्या 1514 दिनांक 12.10.2015 को आराजी संख्या 3420, 3421, 3422, 3423 के बैचान से तुलसीराम पिता भागीरथ जाट 1/4 के बजाय रामलाल पिता बक्षु जाट सा.देह के नाम दर्ज करने की स्वीकृती हुई का अंकन है।

प्रदर्श-4 जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 ग्राम रायपुर के खाता संख्या 196 में आराजी संख्या 1912, 1914 में गोपी 3/32, दोला, तुलसीराम पिता भागीरथ 1/2, नारायणलाल, रामलाल पिता उगमा, रतनी, बाली, आशा पुत्रीया उगमा टमु बेवा उगमा रामलाल नाबा. माता टमु बेवा उगमा 1/4, मांगीदेवी पत्नि डालू 5/32 जाट सा. देह खातेदार दर्ज थी।

साक्ष्य वादी में वादिया ने अपनी जिरह में बताया है कि "पांचो भाईयो के मकान उसी जमीन पर बने हुए है। जमीन मेरे पिताजी ने उनके जीवनकाल में डालु, लेहरू, पन्ना, हीरा को बेची थी किन्तु पैसे नहीं दिए थे, रजिस्ट्री नहीं कराई थी। लेहरू, पन्ना, डालु, पारस, हीरा व मेरे भाईयों के बीच गंगापुर कोर्ट में इन आराजियात को लेकर दावा भी चला। उस केश में लेहरूजी वगैरा जीत गए थे हम हार गए थे। वो जमीन मेरे भाईयो के नाम पर बोल रही थी। उक्त दावा चला उस समय मैने मेरे हिरसे के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। यह कहना

जहायक कलाकडर
(एस.जी.ओ.) रायपुर




सही है कि हमारे चारो भाईयो के बंटवारा हो चुका है। मेरे पिताजी के मरने के 3 वर्ष बाद चारो भाईयो ने बंटवारे कर लिए। मेरे भाई गोपीलाल ने उसके हिस्से में आयी भूमि को डालुजी, की पत्नि मांगीबाई को बैचा। मेरे भाई तुलसीराम ने करेड़ा वाले को भूमि बैची जो मैने रुकवा रखी है। मेरे भाईयो ने जिन केताओं को जमीन बैची है उन केताओं का कब्जा होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। गोपीभाई के हिस्से आई भूमि पर गोपी भाई का कब्जा है। दौलतराम, तुलसी, उगमा के हिस्से में आयी भूमि पर उनका कब्जा है। मेरे चारो भाई उनके हिस्से पर कमा खा रहे है। मै भी मेरे हिस्से पर कमा खा रही हूँ। सेरे की जमीन तीनो भाईयो ने बैच दी जिसको 15 वर्ष हो गए है उस समय भी मैने कोई कार्यवाही नहीं की थी। मुख्य नोहरे की जमीन को बैचने लगे तब मैने दावा कर दिया। सभी भाई अगर जमीन नहीं बैचते तो मै यह दावा नहीं करती। जिन-जिन व्यक्तियों को मेरे भाईयो ने जमीन बैची उन रजिस्ट्रीयों को निरस्त करने के लिए सिविल न्यायालय में दावा नहीं किया है। गोपी भाई, दौला भाई, उगमा भाई तीनो ही हिस्सा देने को तैयार है किन्तु तुलसीराम नहीं देना चाहता है। मै तो चारो भाईयो से 1/5 वां हिस्सा मांग रही हूँ। जो जमीन बची है उसमें 1/5 वा हिस्सा चाह रही हूँ।”

साक्ष्य प्रतिवादी में मांगी पत्नि डालु जाट ने अपनी जिरह में कहा कि “भागीरथ जी के 1 लड़की मांगी है जो चारो भाईयो की बहिन है। मुझे जब जमीन बैची तब चारों भाईयो का शामलाती खाता था। मैने हिस्सा रजिस्ट्री करवाई। मैने जो बाड़ा खरीदा उसमें खाता शामिल होने से मांगी का हिस्सा होगा। मैने जो बाड़ा खरीदा उसका खाता शामलाती है।”

साक्ष्य प्रतिवादी में रामलाल पिता बक्षुराम जाट ने अपनी जिरह में कहा कि “मैने तुलसीराम से जमीन खरीदी है। तुलसीराम से जमीन खरीदी तब खाता शामलाती था। यह कहना सही है कि भूमि भागीरथजी के समय की होकर उनकी मृत्यु से 4 भाईयों के नाम पर आयी है उनके 1 बहिन मांगी है। जब मैने जमीन खरीदी उस समय कोई विवाद नहीं था। यह कहना गलत है कि मांगी उसके हिस्से को बो रही हो और उपयोग कर रही हो। हमारी खरीदशुदा जमीन पर हमारा कब्जा है।”

प्रकरण मे संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहों की जिरह से पाया गया कि सभी गवाहों द्वारा वादिया का भागीरथ पिता किशना की पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 4 लगायत 9 के पिता व पति की बहिन होना स्वीकार किया गया है। पत्रावली में प्रदर्श-1 वादग्रस्त आराजियात की जमाबन्दी संवत 2022 से 2025 की संलग्न है जिसमें खाता संख्या 113 में अंकित वादग्रस्त आराजियात वादिया के पिता भागीरथ पिता किशना के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो कि निम्नानुसार है।

क.स.	साधिक नम्बर	रकबा
1	429	2 बीघा 5 बिस्वा
2	459	1 बीघा 18 बिस्वा
3	1075 / 1	12 बिस्वा
4	451 / 1	3 बिस्वा
5	452	1 बीघा 6 बिस्वा



6	2383	1 बीघा 9 बिस्वा,
7	2384	1 बीघा 9 बिस्वा
8	577/2	10 बिस्वा
9	453	14 बिस्वा
	कुल रकबा	10 बीघा 6 बिस्वा

इसी जमाबन्दी के कॉलम संख्या 16 में अंकन अनुसार भागीरथ के फौत हो जाने से जायन्दा लड़के गोपी, दोला, उगमा, तुलसीराम पिता भागीरथ के नाम परिवर्तन करने की स्वीकृत 1966 में नामान्तरण संख्या 62 के जरिए हुई। पत्रावली में इससे पूर्व की तथा वादिया के दादा के नाम की कोई जमाबन्दी या राजस्व रेकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया है। अतः केवल मात्र उक्त दस्तावेज जो कि वादिया के पिता के नाम का है। वादग्रस्त आराजियात को पुश्तैनी साबित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। पत्रावली में ऐसे भी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजियात वादिया के पिता की स्वअर्जित आराजियात है। अतः स्पष्टतः इस निर्णय पर पहुँचना कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है अथवा स्वअर्जित है, साक्ष्यो के अभाव में संभव नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) में किए गए संशोधन के आधार पर पुश्तैनी सम्पति में पुत्री का भी पुत्र के समान जन्म से ही हक अधिकार निहित होता है। परन्तु यदि पिता की स्वअर्जित सम्पति के विषय में भी यदि पिता की निवर्सीयत मृत्यु हो जाए तो उसकी सम्पति में पुत्रों के समान ही पुत्री का हक अधिकार निहित होता है।

पत्रावली में वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में वादिया के पिता द्वारा कोई वसीयत आदि की गई हो ऐसे भी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अतः वादिया का भी वादग्रस्त आराजियात में अपने भाईयों के समान ही हक अधिकार निहित है।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 की उपधारा 5 के अनुसार धारा 6 (1) के प्रावधान उन परिस्थितियों में लागू नहीं होंगे जबकि किसी आराजी का विभाजन रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1908 की धारा 16 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख या न्यायालय की किसी डिक्री द्वारा किया गया विभाजन दिनांक 20.12.2004 के पूर्व के हो।

वर्तमान प्रकरण में गवाहों के बयान एवं प्रदर्श संख्या 3 व 4 जो कि वादग्रस्त आराजियात की संवत 2071 से 2074 की दिनांक 18.02.2016 को जारी प्रमाणित प्रतिलिपि है। उससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात का दिनांक 20.12.2004 से पूर्व विभाजन नहीं हुआ है तथा आराजियात शामिल होती चली आ रही है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादिया इस तनकी को साबित कराने में सफल रही है अतः वादिया वादग्रस्त भूमियां में अपना 1/5 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। इसलिए इस तनकी का निर्णय वादिया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. आया कि वादिया स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के विरुद्ध जारी करवाने की अधिकारीणी है ? जिम्मे वादिया

इस तनकी को साबित कराने का भार वादिया पर था। वादिया ने इस तनकी के समर्थन में साक्ष्य में स्वयं के शपथ पत्र पर बयान कराये गए। वादिया ने रेकार्ड का प्रदर्श



जिम्मे वादिया
 (स्वा.जी.जी.) जयपुर

कराया गया जिसका विवरण तनकी संख्या 1 में अंकन है। तनकी संख्या 1 का निर्णय वादिया के पक्ष में किया गया है। तनकी संख्या 7 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 के विरुद्ध किया गया है। वादिया स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के विरुद्ध प्राप्त करने की अधिकारिणी है जिससे इस तनकी का निर्णय बहक वादिया किया जाता है।

3. आया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के मध्य मौके पर विभाजन हो गया व अलग-अलग काबिज है। तथा उसमें से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 3/4 का हिस्सा दर्ज नहीं है क्योंकि आराजी संख्या 3420, 3421, 3422, 3423 कुल किता 4 कुल रकबा 0.90 है 0 मे से उसका 1/4 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रतिवादी संख्या 10 रामलाल को विक्रय कर कब्जा सिपूद कर दिया तथा आराजियात संख्या 1912 व 1914 में निहित प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रतिवादी संख्या 11 मांगीदेवी को विक्रय कर कब्जा सिपूद कर दिया यह कथन वादपत्र में छुपाया गया है। जिससे वादपत्र अस्पष्ट होने से खारीज होने योग्य है ? जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 पर था। प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 ने इस तनकी के समर्थन में तुलसीराम पिता भागीरथ, मांगी पत्नि डालु, रामलाल पिता बक्षुराम जाट के शपथ पत्र पर बयान पेश किए। प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए गए एवं विक्रयपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदर्श नहीं कराई गई। वादपत्र की कलम संख्या 4 में वादिया द्वारा अंकन किया गया है कि "प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर दिनांक 08.03.2016 को उक्त कृषि भूमियों को विक्रय करने की बात कही तथा विक्रय करने पर आमदा हुए और प्रतिवादीगण ने वादिया को कहा कि वादग्रस्त भूमियां उनके नाम पर दर्ज है जिसमें से हमने पूर्व में भी भूमियां अन्य को विक्रय की है और अब शेष भूमियां भी विक्रय करेंगे।" वादपत्र में रामलाल पिता बक्षु जाट प्रतिवादी संख्या 10, मांगीदेवी पत्नि डालु जाट प्रतिवादी संख्या 11 को पक्षकार बनाया गया है। वादिया द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों में संवत् 2071 से 2074 की वादग्रस्त आराजियात की जमाबन्दीयां है जिनमें वादग्रस्त आराजियात के बैचान से हुए नामान्तरण का अंकन है एवं केता के नाम जमाबन्दी में अंकित हो चुके है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वादिया ने वाद प्रस्तुत करते समय वादग्रस्त आराजियात के बैचान से जुड़े तथ्य छुपाने का प्रयास किया है। अतः प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 इस तनकी को साबित कराने में सफल नहीं रहे है।

4. आया कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना वादिया किसी प्रकार की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नहीं है व इनका वादपत्र पर प्रभाव क्या होगा ? जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 पर था। प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 द्वारा पत्रावली में रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों की ना ही कोई प्रति पेश करी गई ना ही कोई दस्तावेज प्रदर्श कराए गए। वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श संख्या 3 व 4 वादग्रस्त आराजियात की संवत् 2071 से 2074 की जमाबन्दी में केतागणों के नाम दर्ज होने से वादग्रस्त



आराजियात के हिस्से का प्रतिवादी संख्या 10, 11 को बैचान होना प्रमाणित है। उक्त बैचान को वादिया द्वारा वादपत्र में चुनौती नहीं दी गई है। पत्रावली में उक्त बैचान को किसी अन्य सिविल न्यायालय में चुनौती दिए जाने के प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 ने इस तनकी के समर्थन में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आरआरटी 2022-23 (सप्ली.) राजस्व मण्डल अजमेर का लीला बनाम लुणाराम के निर्णय दिनांक 14.07.2022 की प्रति पेश की। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 8 में अंकन अनुसार "अपने वाद में जिस विवादित भूमि बाबत वाद प्रस्तुत किया है उस भूमि में से रेस्पोंडेण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 1/12 हिस्से का विक्रय वाद प्रस्तुत होने से पूर्व किया जा चुका था जो एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय किया गया है एवं जिसे कहीं चुनौती नहीं दी गई थी। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा दावे से पूर्व किए गए बैचान की भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोंडेण्ट का बराबर हिस्सा घोषित करने हेतु माप एवं सीमांकन से विभाजन किए जाने हेतु तहसीलदार जोधपुर को कमिश्नर नियुक्त किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।"

वादिया द्वारा वादग्रस्त आराजियात में 1/5 हिस्से की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजियात का बैचान नहीं हुआ है। अतः प्रतिवादी संख्या 10, 11 को किए गए वादग्रस्त आराजियात के हिस्से के बैचान को चुनौती नहीं दिए जाने के तथ्य को वादिया के सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजियात में हिस्से की घोषणा के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में लिया जाना न्यायसंगत नहीं है। विक्रय पत्रों को चुनौती दिया जाना अथवा नहीं दिया जाना यह तथ्य केवल मात्र विक्रय की गई भूमि के सन्दर्भ में ही विवेचन योग्य है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 10, 11 को वादग्रस्त आराजियात के हिस्से का बैचान वाद प्रस्तुत करने से पूर्व किया जा चुका है तथा इस बैचान को कहीं चुनौती नहीं दी गई है। आरआरटी 2022-23 (सप्ली.) राजस्व मण्डल अजमेर का लीला बनाम लुणाराम के निर्णय दिनांक 14.07.2022 के अनुरूप प्रतिवादीगण आंशिक रूप से वादग्रस्त आराजियात में विक्रय की गई भूमि की हद तक इस तनकी को अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे हैं।

5. आया कि प्रतिवादीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से केता है जिससे मामला सिविल कोर्ट में सुनवाई का बनता है। राजस्व न्यायालय को उक्त वाद पत्र सुनने का अधिकार नहीं है ?

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 पर था। प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 ने इस तनकी के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 द्वारा पत्रावली में किसी प्रकार के विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ना ही विक्रय पत्रों को प्रदर्श कराया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 द्वारा इस तनकी के समर्थन में कोई साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिससे इस तनकी को साबित कराने में प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 असफल रहे हैं। इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 के विरुद्ध किया जाता है।


उपस्थित न्यायाधीश



6. आया कि प्रतिवादी संख्या 10 व 11 अपना खरीद शुदा भूमियों का विभाजन कराने के अधिकारी होने से जरिए काउन्टर क्लेम अपने-अपने हिस्से का कब्जेनुसार जरिए मीटस एण्ड बाउण्ड्स के विभाजन की आज्ञापति प्राप्त करने के अधिकारी है ?

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 पर था। प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 ने इस तनकी के समर्थन में गवाह डी डब्ल्यु 1 तुलसीराम पिता भागीरथ जाट, डी डब्ल्यु 2 मांगी पत्नि डालु जाट, डी डब्ल्यु 3 रामलाल पिता बक्षु जाट के शपथ पत्र पर बयान कराए गए। प्रतिवादी संख्या 10, 11 द्वारा पत्रावली में विक्रय पत्रों की प्रति संलग्न नहीं है, नाहिं पत्रावली में नामान्तरण की कोई प्रति अथवा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए है। प्रतिवादी संख्या 10, 11 द्वारा कब्जे सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है। अतः साक्ष्यो के अभाव में इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी संख्या 10, 11 के विरुद्ध किया जाता है।


7. आया कि वादिया का कोई कब्जा नहीं होने से वादग्रस्त भूमियों पर कोई घोषणात्मक डिक्री व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारीणी नहीं है ?

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 पर था। प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 ने इस तनकी के समर्थन में गवाह डी डब्ल्यु 1 तुलसीराम पिता भागीरथ जाट, डी डब्ल्यु 2 मांगी पत्नि डालु जाट, डी डब्ल्यु 3 रामलाल पिता बक्षु जाट के शपथ पत्र पर बयान कराए गए। प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है। प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 द्वारा विक्रय पत्र तथा कब्जा सिपूदगी के कोई दस्तावेज भी पत्रावली में पेश नहीं किए गए है। वादिया का वादपत्र विरासत के आधार पर पुश्तैनी कृषि आराजियात पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का है। इस प्रकार के प्रकरण का निर्धारण सम्पत्ति की प्रकृति एवं उत्तराधिकार के आधार पर किया जाता है ना कि कब्जे के आधार पर। प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 इस तनकी को साबित करने में असफल रहे है। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी संख्या 3, 10, 11 के विरुद्ध किया जाता है।

8. अनुतोष ?

16. न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का गंभीरता से अध्ययन किया तथा तनकीवार निर्णय के आधार पर यह पाया कि वादिया द्वारा मूल रूप से अपने पिता भागीरथ पिता किशना के नाम अभिलिखित कृषि आराजियात में अपने भाईयों के समान खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। वादिया, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, व 4 लगायत 9 के पिता व पति की वहिन है। वादिया के पिता भागीरथ पिता किशना की मृत्यु के पश्चात् वर्ष 1966 में विरासत के नामान्तरण संख्या 62 द्वारा वादिया के भाईयों के नाम वादग्रस्त आराजियात में प्रत्येक भाई के 1/4 हिस्से के अनुसार दर्ज कर दी गई। वादग्रस्त आराजियात शामिलती चली आ रही है। हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अनुसार वादिया का अपने भाईयो के समान ही अपने पिता की कृषि आराजियात में 1/5 हिस्सा निहित होता है जिसकी वह खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने की अधिकारिणी है। वादग्रस्त



१५
१५

आराजियात में विरासत के नामान्तरण के पश्चात् दर्ज 1/4 हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 1 गोपी द्वारा आराजी संख्या 1912, 1914 में 3/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 को वैच दिया गया जिसके अनुसार संवत् 2071 से 2074 की जमाबन्दी में उक्त आराजियात में गोपी का 3/32 एवं केता मांगी का 5/32 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 को किया गया बैचान वादग्रस्त आराजियात के 1/5 हिस्से से कम है। प्रतिवादी संख्या 3 तुलसीराम द्वारा आराजी संख्या 3420, 3421, 3422, 3423 में अपना 1/4 हिस्से का बैचान प्रतिवादी संख्या 10 को कर दिया गया जिसके अनुसार संवत् 2071 से 2074 की जमाबन्दी में नामान्तरण का अंकन जरिए नामान्तरण संख्या 1514 दिनांक 12.10.2015 को तुलसीराम के बजाय प्रतिवादी 10 रामलाल का हिस्सा दर्ज किया गया है। प्रतिवादी संख्या 10, 11 द्वारा आराजियात के कय के समय प्रतिवादी संख्या 1 व 3 वादग्रस्त आराजियात के 1/4-1/4 हिस्से के अभिलिखित खातेदार थे। केतागण सद्भाविक केता है।

उक्त दोनों बैचान वाद प्रस्तुत करने से पूर्व किए गए हैं। प्रतिवादी संख्या 1 गोपी द्वारा अपने निहित हिस्से से अधिक का बैचान नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा केवल 4 आराजियात में अपना 1/4 हिस्सा बैचा गया हैं शेष 5 आराजियात में से प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा बैचान नहीं किया गया है। वादग्रस्त आराजियात शामलाती चली आ रही है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा भी सभी आराजियात में अपने सम्पूर्ण हिस्से का बैचान नहीं किए जाने से उसके अपने निहित हिस्से से अधिक का बैचान नहीं किया गया है।


वादग्रस्त आराजियात में केतागण सद्भाविक केता है तथा आराजियात के बैचान के विक्रय पत्र को कहीं चुनौती नहीं दी गई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजियात में अपने सम्पूर्ण हिस्से को नहीं बैचा गया है। ऐसे में केतागण प्रतिवादी संख्या 10, 11 के कब्जेकाशत में दखल देना न्यायोचित नहीं है।

हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अनुसार वादिया का अपने भाईयों के समान ही अपने पिता की कृषि आराजियात में 1/5 हिस्सा निहित होता है जिसकी वह खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने की अधिकारिणी है। इस अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 का सम्पूर्ण आराजियात में 1/5 हिस्सा बनता है परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा आराजी संख्या 3420, 3421, 3422, 3423 में 1/4 हिस्से का बैचान प्रतिवादी संख्या 10 को कर दिया गया है। अतः अपने निहित हिस्से 1/5 से अधिक उक्त आराजियात में किए गए बैचान की शेष आराजियात में से पूर्ति करते हुए वादिया को वादग्रस्त आराजियात में 1/5 हिस्से की खातेदार काशतकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर में निम्न आराजियात स्थित है :-

क्र.स.	आराजी संख्या	रकबा
1	1931	0.05




2	3406	0.06
3	3407	0.25
4	3408	0.15
5	3420	0.16
6	3421	0.25
7	3422	0.25
8	3423	0.24
9	1912	0.26
10	1914	0.07

उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 10 एवं 11 द्वारा किए गए भूमि के क्रय में दखलदांजी किए बिना प्रतिवादी संख्या 3 तुलसीराम द्वारा आराजी संख्या 3420, 3421, 3422, 3423 में किए गए 1/4 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 10 को बैचान में प्रतिवादी संख्या 3 के अपने निहित हिस्से 1/5 से अधिक किए गए बैचान की शेष आराजियात में से पूर्ति करते हुए वादिया को वादग्रस्त आराजियात में 1/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 10, 11 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्रतिवादी के स्वतंत्र रूप से विभाजन का वाद दायर करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अस्वीकार किया जाता है। साथ ही वादग्रस्त आराजियात में वादिया के निहित हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के इस आशय की जारी की जाती है कि उक्त प्रतिवादीगण वादिया के निहित हिस्से की भूमि किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे नाहिं वादिया को ताकत के बल पर जबरन बेदखल करें। इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18/5/26 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (करुणा लाडोती)
 सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
 रायपुर जिला, भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाक्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :- 45/2016

जीसीएमएस नम्बर :- 2016/000176

उनवान

1. मांगी पुत्री भागीरथ जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादिया

बनाम

1. गोपी पिता भागीरथ जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. दोला पिता भागीरथ जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. तुलसीराम पिता भागीरथ जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नारायणलाल पिता उगमा जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रामलाल पिता उगमा जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रतनी पुत्री उगमा जाट नाबा.जरिए माता टमु बैवा उगमा जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर
7. बाली पुत्री उगमा जाट नाबा.जरिए माता टमु बैवा उगमा जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर
8. आशा पुत्री उगमा जाट नाबा.जरिए माता टमु बैवा उगमा जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर
9. टमु बेवा उगमा जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. रामलाल पुत्र बक्षु जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मांगीदेवी पत्नि डालु जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिए शाखा प्रबन्धक
13. उपपंजीयक एवं तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

दिनांक 18/5/26

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर में निम्न आराजियात स्थित है :-

क्र.स.	आराजी संख्या	रकबा
1	1931	0.05
2	3406	0.06
3	3407	0.25
4	3408	0.15
5	3420	0.16
6	3421	0.25
7	3422	0.25
8	3423	0.24
9	1912	0.26
10	1914	0.07




सहायक कलक्टर
(रा.पी.जे.) रायपुर

उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 10 एवं 11 द्वारा किए गए भूमि के कय में दखलदांजी किए बिना प्रतिवादी संख्या 3 तुलसीराम द्वारा आराजी संख्या 3420, 3421, 3422, 3423 में किए गए 1/4 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 10 को बैचान में प्रतिवादी संख्या 3 के अपने निहित हिस्से 1/5 से अधिक किए गए बैचान की शेष आराजियात में से पूर्ति करते हुए वादिया को वादग्रस्त आराजियात में 1/5 हिस्से की खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 10, 11 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्रतिवादी के स्वतंत्र रूप से विभाजन का वाद दायर करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अस्वीकार किया जाता है। साथ ही वादग्रस्त आराजियात में वादिया के निहित हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के इस आशय की जारी की जाती है कि उक्त प्रतिवादीगण वादिया के निहित हिस्से की भूमि किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे नाहिं वादिया को ताकत के बल पर जबरन बेदखल करें। इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 18/5/28 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।




(करुणा लाडोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सहस्रपुर जिला, भीलवाड़ा